रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/2001 REGISTERED NO. DL-33004/2001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 62] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 23, 2001 / कार्तिक 1, 1923 (शक)
No. 62] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 2001 / KARTIKA 1, 1923 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 23rd October, 2001/Kartika 1, 1923 (Saka)

THE PASSPORTS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2001

No. 8 OF 2001

Promulgated by the President in the Fifty-second Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Passports Act, 1967.

WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. *(1)* This Ordinance may be called the Passports (Amendment) Ordinance, 2001. Short and commencement.

(2) It shall come into force at once.

Insertion of new sections 10A and 10B.

2. After section 10 of the Passports Act, 1967, the following sections shall be inserted, namely:- 15 of 1967.

Suspension of passports or travel documents in certain cases.

'10A. (*1*) Without prejudice to the generality of the provisions contained in section 10, if the Central Government or any designated officer is satisfied that the passport or travel document is likely to be impounded or caused to be impounded or revoked under clause (*c*) of sub-section (3) of section 10 and it is necessary in the public interest so to do, it or he may, –

(*a*) by order, suspend, with immediate effect, any passport or travel document;

(*b*) pass such other appropriate order which may have the effect of rendering any passport or travel document invalid,

for a period not exceeding four weeks:

Provided that the Central Government or the designated officer may, if it or he considers appropriate, extend, by order and for reasons to be recorded in writing, the said period of four weeks till the proceedings relating to variation, impounding or revocation of passport or travel document under section 10 are concluded:

Provided further that no order under this sub-section shall be passed unless a notice in writing to show cause has been issued to the holder of the passport or travel document:

Provided also that the Central Government or the designated officer may, for reasons to be recorded in writing and in the public interest, waive the requirement of issue of notice referred to in the second proviso:

Provided also that every holder of the passport or travel document, in respect of whom an order under this sub-section had been passed without giving him a prior notice, shall subsequently be given an opportunity of being heard and thereupon the Central Government may, if necessary, by order in writing, modify or revoke the order passed under this sub-section.

(*2*) The designated officer shall immediately communicate the orders passed under sub-section (*1*), to the concerned authority at an airport or any other point of embarkation or immigration, and to the passport authority.

(*3*) Every authority referred to in sub-section (*2*) shall, immediately on receipt of the order passed under sub-section (*1*), give effect to such order.

Validation of intimations.

10B. Every intimation, given by the Central Government or the designated officer, before the commencement of the Passports (Amendment) Ordinance, 2001, to any immigration authority at an airport or any other point of embarkation or immigration, restricting or in any manner prohibiting the departure from India of any holder of the passport or travel document under sub-section (*3*) of section 10, shall be deemed to be an order under sub-section (*1*) of section 10A and such order shall continue to be in force for a period of three months from the date of commencement

of 1967.

of the Passports (Amendment) Ordinance,2001 or the date of giving such intimation, whichever is later.

Explanation.- For the purposes of sections 10A and 10B, the expression "designated officer" means such officer or authority designated, by order in writing, as such by the Central Government or the State Government.'.

K. R. NARAYANAN,
President.

SUBHASH C. JAIN,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS (PLU), MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2001.

MGIP(PLU)MRND—3228EA—6.11.2001.

***

विधि, न्याय तथा कंपनी मामले मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2001/कार्तिक 1, 1923 (शक)

पासपोर्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2001

2001 का सं. 8

राष्ट्रपति द्वारा भारत गणराज्य के बावनबे वर्ष में प्रख्यापित

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में आगे संशोधन करने हेतु अध्यादेश

जबकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उनके लिए तत्काल कार्रवाई को आवश्यक बनाती हैं;

अतः अब संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित अध्यादेश को सहर्ष प्रख्यापित करते हैं:-

संक्षिप्त नाम और संप्रवर्तन

1. (1) यह अध्यादेश पासपोर्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2001 कहलाएगा।

(2) यह तत्काल लागू हो जाएगा।

नई धारा 10 क और 10 ख का अंतर्वेशन

2. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 के उपरांत निम्नलिखित धाराओं को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:- 1967 का 15

कतिपय मामलों में पासपोर्टों और यात्रा दस्तावेज़ों का निलंबन

10 क. (1) धारा 10 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि केंद्रीय सरकार अथवा कोई नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ को धारा 10 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत जब्त किया जा सकता है अथवा जब्त कराया जा सकता है अथवा रद्द किया जा सकता है और ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तो वह अधिक-से-अधिक चार सप्ताह की अवधि के लिए,-

(क) आदेश जारी करके किसी भी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सकता है;

(ख) ऐसा कोई अन्य समुचित आदेश पारित कर सकता है जो किसी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ को अवैध कर सके,

परन्तु केंद्रीय सरकार अथवा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, यदि यथोचित समझे तो आदेश जारी करके और लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से चार सप्ताह की उक्त अवधि को धारा 10 के अंतर्गत पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ में अंतर, जब्ती अथवा रद्दीकरण से संबंधित कार्यवाही पूरी होने तक बढ़ा सकता है:

बशर्ते आगे यह कि इस उप-धारा के तहत तब तक कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़धारक को लिखित रूप में कारण बताने संबंधी नोटिस जारी न किया गया हो;

बशर्ते यह भी कि केंद्रीय सरकार अथवा नामनिर्दिष्ट अधिकारी लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से तथा जनहित में दूसरे परंतुक में उल्लिखित नोटिस जारी किए जाने की अपेक्षा से छूट दे;

बशर्ते यह भी कि प्रत्येक पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ धारक जिनके संबंध में पूर्व नोटिस दिए बिना इस उप-धारा के तहत आदेश पारित किया गया था, को तदुपरांत सुने जाने का अवसर दिया जाएगा और इसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे, इस उपधारा के तहत पारित आदेश में लिखित रूप में संशोधन कर सकती है अथवा इसे रद्द कर सकती है।

सूचनाओं का वैधीकरण

(2) नामनिर्दिष्ट अधिकारी उपधारा (1) के तहत पारित आदेश किसी हवाई अड्डे अथवा किसी अन्य प्रवेश बिन्दु अथवा आप्रवासन बिंदु पर संबंधित प्राधिकारी को तथा पासपोर्ट प्राधिकारी को तत्काल संसूचित करेगा।

(3) उपधारा (2) में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकारी उपधारा (1) के तहत पारित आदेश प्राप्त होने के तत्काल बाद इसे लागू करेगा।

10 ख. पासपोर्ट (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2001 लागू होने से पहले केन्द्रीय सरकार या नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किसी हवाई अड्डे पर किसी आप्रवासन प्राधिकारी या बहिर्गमन या आप्रवासन के किसी अन्य

बिंदु पर दी गई प्रत्येक सूचना जो धारा 10 की उप-धारा (3) के अधीन पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ के किसी धारक के भारत से प्रस्थान करने को रोकती हो या उसे किसी तरह प्रतिबंधित करती हो को धारा 10 (क) की उप-धारा (1) के अधीन आदेश माना जाएगा और ऐसा आदेश पासपोर्ट (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2001 के लागू होने की तारीख या ऐसी सूचना दिए जाने की तारीख, जो बाद में हो, से तीन माह की अवधि तक लागू रहेगा।

स्पष्टीकरण – धारा 10 क तथा 10 ख के प्रयोजनार्थ "नामनिर्दिष्ट अधिकारी" का आशय केंद्र सरकार द्वारा लिखित में जारी आदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी है।

के.आर. नारायणन,
राष्ट्रपति

सुभाष सी. जैन,
सचिव, भारत सरकार